

—: आदेश :-

राजस्थान ग्रामीण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 2008 के नियम 20 में उपलब्ध प्रावधानों के अंतर्गत चयन समिति की सिफारिश पर ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी के पद पर वेतनमान 8000-275-13500 में कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ7(2)डीओपी/ए-11/2005 दिनांक 20/01/06 के प्रावधानान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) रूपये 7950/- प्रतिमूह की दर पर अस्थायी रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से अनुकूल चरित्र सत्यापन प्रस्तुत करने की सशर्त पर नियुक्ति प्रदान की जाती है:-

क्रम सं०	नाम चिकित्सा अधिकारी व पता	मेरिट सं०	जन्मतिथि	वर्ग
1.	डा० ओम प्रकाश पुत्र श्री शिवलाल, ग्रा. पो. बोडवा, तह० जायल, नागौर	R-77	30-12-74	OBC

"These appointments are subject to the decisions of S.B. Civil Writ Petition Nos. 7124/08 and 7103/08.

उपरोक्त अभ्यर्थी वर्तमान में पीजी में अध्ययनरत है। फलस्वरूप इनका पदस्थापन पीजी पूर्ण करने पर किया जायेगा।

इन्हें कार्यग्रहण करने के समय अपने गृह जिले के संबंधित पुलिस अधीक्षक से चरित्र सत्यापन प्राप्त कर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधायें एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों आदि में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।

परिवीक्षा अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरांत ही पद की वेतन श्रृंखला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे। अंशदायी पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी।

उपरोक्त चिकित्सकों की जन्म तारीख उनके सैकण्डरी/हाई स्कूल के प्रमाण पत्रों से संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सत्यापित की जानी है।

उक्त चिकित्सकों की नियुक्ति सक्षम चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अध्यक्षीन है।


दिनांक 01/06/02 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।

इन्हें आदेश प्रसारित होने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर-भीतर तक कार्यग्रहण करना होगा। उक्त अवधि में कार्यभार न संभालने की दशा में उनके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जावेंगे।

निदेशक (जन स्वा०)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजि सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजि सचिव, माननीय चिकित्सा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप-2), राजस्थान, जयपुर।
6. प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज संबंधित को भेजकर लेख है कि अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण के समय संतानों के संबंध में वचन पत्र एवं यदि शादि शुदा हो तो मेरिज सर्टिफिकेट प्राप्त कर मूल ही अभ्यर्थी के कार्यग्रहण की सूचना भिजवाने के समय अनिवार्य रूप से साथ में भिजवावें एवं छाया प्रति आपके कार्यालय हेतु रख लें।
7. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, संबंधित।
8. रजिस्ट्रार, राजस्थान मेडिकल काउंसिल, जयपुर।
9. संबंधित चिकित्सक को उनके घर के पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
10. संबंधित डीलिंग असिस्टेंट को राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से प्राप्त मूल आवेदन पत्र मय संलग्न दस्तावेजों के, संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक से प्राप्त मूल चरित्र सत्यापन एवं चिकित्सक द्वारा प्रस्तुत सत्यापन रोल अर्दि सहित।
11. आदेश पत्रावली / निजि पत्रावली।


निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।